



M.J.P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू0वि0/परीक्षा नियंत्रक/2023/4101

दिनांक : 20.11.2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबन्धक,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,  
बरेली।

विषय: छात्रों को मेजर/माईनर विषयों को जबरन दिये जाने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के संज्ञान में आया है कि कतिपय महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रबन्धक कुछ विशेष विषयों को जबरदस्ती छात्रों को चयनित कराते हैं। कतिपय महाविद्यालयों द्वारा विषयों के चयन में स्वचालित व्यवस्था करने सम्बन्धी शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई हैं। उक्त कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों /परिनियमों के विरुद्ध है। किसी भी छात्र/छात्रा को जबरदस्ती कोई भी विषय देना /दिलवाने का प्रयास करना नियम विरुद्ध है और छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कोई भी विषय लेने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि छात्र/छात्राओं को अपनी मर्जी के पाठ्यक्रमों को चुनने का अधिकार सुनिश्चित करें और अपने यहाँ जबरन विषय अथवा पाठ्यक्रम देने की प्रथा को (यदि प्रचलित है तो) तत्काल बन्द करें अन्यथा की स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विधि सम्मत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

  
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:

निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

  
परीक्षा नियंत्रक